भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2439

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

टोल प्लाजा पर नि:शुल्क आवाजाही की अनुमति

2439. श्री वी. के. श्रीकंदन:

श्री अमरा राम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी सड़क निर्माताओं के माध्यम से संबंधित टोल प्लाजा के आस-पास की पंचायतों के लोगों को नि:शुल्क आवाजाही की अनुमति देने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) टोल बूथों पर स्थानीय निवासियों के लिए टोल मुक्त सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) क्या सरकार टोल प्लाजा के आसपास के ग्रामीणों के कड़े विरोध के कारण सड़क निर्माताओं को टोल प्लाजा का दायरा बढ़ाने का निर्देश देने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या चार पहिया ऑटोरिक्शा और स्कूल वाहनों को टोल प्लाजा से नि:शुल्क आवाजाही की सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार ने लागू राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली में स्थानीय प्रयोक्ताओं के लिए छूट का प्रावधान किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार, शुल्क प्लाजा के 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाला कोई व्यक्ति, जो वैध कार्यात्मक फास्टैग वाले यांत्रिक वाहन, जो गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत है, का मालिक है और राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से पर आवागमन के लिए इसका उपयोग करता है, वह उस शुल्क प्लाजा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये (तीन सौ चालीस रुपये मात्र) की दर से मासिक पास प्राप्त कर सकता है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्रति वर्ष संशोधन के अध्यधीन है, बशर्ते कि ऐसे वाहन द्वारा उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

इसके अलावा, किसी विशेष जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहन को छोड़कर) उस जिले में स्थित सभी शुल्क प्लाजाओं पर निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का 50% भुगतान करने के लिए पात्र है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) यद्यपि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, तथापि, इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क और मासिक पास में छूट की सुविधा पहले से ही मौजूद है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, दो पहिया वाहनों, तीन पहिया वाहनों, ट्रैक्टरों, कंबाइन हार्वेस्टरों और पशु चालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि इन वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग के उस खंड का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के एवज में सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है।

*****